

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

क्रमांक: सहा./बाढ़/2020/2151-78

दिनांक :- 28/12/20

-: प्रशासनिक स्वीकृति :-

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर से जारी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एफ.8(6)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2020/13888-93 जयपुर, दिनांक 05.11.2020 द्वारा अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड प्रतापगढ़, अरनोद पीपलखूंट एवं अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन जाखम परियोजना विभाग धरियावद के ब्लाक धरियावद के जिला प्रतापगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2020 की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त नहरों एवं बांधों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निम्नलिखित कार्यों के प्रस्तावों पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। अतः प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित प्रावधानों के अनुसार एवं आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8(6)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2020/13888-93 जयपुर, दिनांक 05.11.2020 की अनुपालना में निम्न कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी अभिकरण :- अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड प्रतापगढ़

क्र. स.	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति बांध/नहर/ अन्य का नाम	किया जाने वाला कार्य	तत्काल मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)
1	बरड़िया बांध	अतिआवश्यक बांध मरम्मत का कार्य	1.50
2	बरड़िया बांध मुख्य नहर	अतिआवश्यक मरम्मत कार्य RD 0km to 3km के बीच में दोनों तरफ (कुल लम्बाई 6km)	3.60
3	गादोला बांध	अतिआवश्यक बांध मरम्मत का कार्य	1.50
4	गादोला बांध की नहर	गादोला बांध की बाईं मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 4 किमी के बीच तथा दांयी मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 4 किमी के बीच में दोनों तरफ (Both Side) अतिआवश्यक मरम्मत कार्य।	9.60
5	बजरंगगढ़ बांध	अतिआवश्यक बांध मरम्मत का कार्य	1.50
6	बजरंगगढ़ बांध की नहर	बजरंगगढ़ बांध की बाईं मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 3 किमी के बीच तथा दांयी मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 2 किमी के बीच में दोनों तरफ (Both Side) अतिआवश्यक मरम्मत कार्य।	6.00
7	मचलाना बांध	अतिआवश्यक बांध मरम्मत का कार्य	1.50
8	मचलाना बांध की नहर	मचलाना बांध की बाईं मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 2 किमी के बीच तथा दांयी मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 3 किमी के बीच में दोनों तरफ (Both Side) अतिआवश्यक मरम्मत कार्य।	6.00
कुल योग			31.20

(अक्षरे रुपये इकत्तीस लाख बीस हजार मात्र)

कार्यकारी अभिकरण :- अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड अरनोद

क्र. स.	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति बांध/नहर/ अन्य का नाम	किया जाने वाला कार्य	तत्काल मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)
1	चाचाखेडी बांध	अतिआवश्यक बांध मरम्मत का कार्य	1.50
2	हमजाखेडी	अतिआवश्यक बांध मरम्मत का कार्य	1.50
3	हमजाखेडी बांध की नहर	हमजाखेडी बांध की बाईं मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 4.00 किमी के बीच तथा दांयी मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 1.50 किमी के बीच में दोनों तरफ (Both Side) अतिआवश्यक मरम्मत कार्य।	6.60
कुल योग			9.60

(अक्षरे रुपये नौ लाख साठ हजार मात्र)

कार्यकारी अभिकरण :- अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड पीपलखूंट

क्र. स.	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति बांध/नहर/ अन्य का नाम	किया जाने वाला कार्य	तत्काल मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)
1	बोरिया बांध	अतिआवश्यक बांध मरम्मत का कार्य	1.50
2	बोरिया बांध की नहर	बोरिया बांध की बाईं मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 4 किमी के बीच तथा दांयी मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 5 किमी के बीच में दोनों तरफ (Both Side) अतिआवश्यक मरम्मत कार्य।	10.80
3	भंवर सेमला की नहर	भंवर सेमला बांध की बाईं मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 11 किमी के बीच तथा दांयी मुख्य नहर की आर.डी. 5.60 से 13.80 किमी के बीच में दोनों तरफ (Both Side) अतिआवश्यक मरम्मत कार्य।	23.04
कुल योग			35.34

(अक्षरे रुपये पैंतीस लाख चौतीस हजार मात्र)

कार्यकारी अभिकरण :- अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन जाखम परियोजना विभाग खण्ड धरियावद

क्र. स.	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति बांध/नहर/ अन्य का नाम	किया जाने वाला कार्य	तत्काल मरम्मत हेतु (में)
1	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर की आर डी 0 से 90 के बीच एवं डिस्ट्रीब्यूटरी में दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	2.50
2	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर की आर डी 90 से 150 के बीच में दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	2.00
3	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर की आर डी 150 से 190 के बीच में दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	2.10
4	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर की आर डी 190 से 265 के बीच एवं डिस्ट्रीब्यूटरी में दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	2.30
5	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर की आर डी 265 से 294 के बीच एवं डिस्ट्रीब्यूटरी में दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	4.50
6	धौलिया बांध की मुख्य नहर	धौलिया बांध की मुख्य नहर 0 से 4 कि.मी. के बीच में दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	1.50
7	हांडाखेडा पिक अप वियर की मुख्य नहर	हांडाखेडा पिक अप वियर की मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 8 के बीच दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	1.50
8	जाखम बांध की दायी मुख्य नहर	जाखम बांध की दायी मुख्य नहर चैन 0 से 792 के बीच दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	1.85
9	जाखम बांध की दायी मुख्य नहर	जाखम बांध की दायी मुख्य नहर की आर.एम.सी. विस्तार 0 से टेल के बीच मय सिस्टम में दोनों तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	1.65
10	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर	जाखम बांध की बांयी मुख्य नहर की पण्डावा वितिरिका आर डी 0 से 50 के बीच दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	5.50
11	टिमरू का वेला MIT	टिमरू का वेला MIT में अति आवश्यक मरम्मत कार्य	1.50
12	चरी MIT	चरी MIT में अति आवश्यक मरम्मत कार्य	1.50
13	हांडाखेडा पिक अप वियर की दायी मुख्य नहर	हांडाखेडा पिक अप वियर की दायी मुख्य नहर आर डी 8 से 16 कि.मी. के बीच दोनों तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	1.50
14	गागरी बांध की बांयी मुख्य नहर	गागरी बांध की बांयी मुख्य नहर की चैन 0 से 200 के बीच दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	1.50
15	वाजना बांध की दायी मुख्य नहर	वाजना बांध की दायी मुख्य नहर की चैन 0 से 250 के बीच दोनो तरफ अति आवश्यक मरम्मत कार्य	1.50
कुल योग			32.90

(अक्षरे रुपये बत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र)

नोट :- उक्त कार्यों के क्रियान्वयन मे निम्न निर्देशों की पालना की जावें।

1. राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/लोक निर्माण लेखा नियमों तथा सहायता विभाग से समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावें।
2. उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति मय तखमीना इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवावे ताकि ऑन लाईन बजट मांग की जाकर बाद बजट प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके। बिना वित्तीय स्वीकृति के कार्य प्रारंभ नहीं किये जावें।
3. इस राशि का उपयोग आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के पत्रांक 12384-85 दिनांक 24.09.2020 से प्राप्त भारत के अनुसार बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़को की तात्कालिक मरम्मत के लिये ही किया जावेगा।
4. यह स्वीकृति आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर से बजट प्राप्त होने के अद्यधीन होगी।
5. राशि का व्यय सी.आर.एफ. के मानदण्डों के अन्तर्गत किया जावेगा।
6. इन कार्यों के लेखे महालेखाकार तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के निरीक्षण दलों को जॉच हेतु उपलब्ध कराने होंगे।
7. बाद व्यय, समस्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र दो-दो प्रतियों में तैयार कर इस कार्यालय के माध्यम से आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किया जावेगा।

(अनुपमा जोरवाल)

जिला कलक्टर

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता),

प्रतापगढ़

दिनांक :-

क्रमांक: सहा./बाढ़/सड़क मरम्मत/2011/

/बाढ़/सडक मरम्मत/2011/2151-76

दिनांक :- 28/12/20

सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

श्रीमान् शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर।

मुख्यलेखाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।

जिला प्रमुख महोदय, प्रतापगढ़।

जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, प्रतापगढ़।

उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़/अरनोद/छोटीसादडी/धरियावद/पीपलखूंट।

अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग वृत्त प्रतापगढ़।

तहसीलदार प्रतापगढ़/अरनोद/छोटीसादडी/धरियावद/पीपलखूंट।

विकास अधिकारी, पं.स. प्रतापगढ़/अरनोद/छोटीसादडी/धरियावद/पीपलखूंट।

अधिशायी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड प्रतापगढ़/अरनोद/पीपलखूंट/जल संसाधन जाखम परियोजना धरियावद।

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।

कोषाधिकारी प्रतापगढ़

आदेश पंजिका।

ayy

जिला कलेक्टर

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता),

प्रतापगढ़

स्वीकृति

मानसून वर्ष 2020 में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त बांध/नहर की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ के प्रस्ताव क्रमांक 1790 दिनांक 01.10.2020 के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के प्रावधान अनुसार जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ को जल संसाधन प्रतापगढ़ ब्लॉक अरनोद के 03 कार्य हेतु राशि 9.60 लाख, जल संसाधन प्रतापगढ़ ब्लॉक प्रतापगढ़ के 08 कार्य हेतु राशि 31.20 लाख, जल संसाधन प्रतापगढ़ ब्लॉक पीपलखूंट के 03 कार्य हेतु राशि 35.34 लाख एवं जल संसाधन जाखम परियोजना धरियावद ब्लॉक धरियावद के 15 कार्य हेतु राशि 32.90 लाख कुल 29 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 109.04 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ नौ लाख चार हजार मात्र) के बजट आवंटन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के निम्न बजट मद से किया जायेगा।

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़, चक्रवात आदि।

122- खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना

(02)- बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता

(01)- [बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता]

21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध

इस राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा।

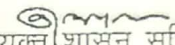
1. स्वीकृतियां जारी करते समय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जावेगा।
2. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न किया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
4. जिला कलेक्टर यह सन्तुष्टि कर लेवे कि प्रस्तावित नहरें/बांध/एनिकट का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एवं जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
5. जिला कलेक्टर यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करें कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. का उपयोग लिया जायेगा।

[Handwritten Signature]



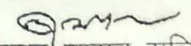
[Handwritten notes in blue ink:]
सहायता
12/11/20
जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

6. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
7. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
8. आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष राशि विभाग को अविलम्ब समर्पित की जाए।
9. कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां उपरान्त ही राशि का व्यय नियमानुसार किया जावे।
10. केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरुद्धान के कार्य ही करवाये जावे, जो एस.डी.आर. एफ. नॉर्म्स में दिये गये प्रावधानुसार हो।
11. इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
12. उक्त उपखण्ड समिति के सदस्य द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही जल संसाधन विभाग के कार्यों की स्वीकृति जारी की जावे।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर प्रतापगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।
5. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव